कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया (म.प्र.)

जिला न्यायालय उमरिया में अस्थायी रूप से एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन हेतु विज्ञप्ति

क्रमांक 1508/दो–12–16/2024 उमरिया, दिनांक 30/07/2024

जिला न्यायालय उमरिया में अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये MP Online Kiosk Centre संचालन हेतु इच्छुक एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क संचालकों से निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2024 तक सायं 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र, शर्तें तथा नियत दरों की सूची नजारत अनुभाग जिला न्यायालय उमरिया से रूपये 250/– का आवेदन शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र भरकर, शर्तों तथा नियत दरों की सूची पर हस्ताक्षर कर एवं उल्लेखित जमा राशि की एफ.डी.आर. संलग्न कर बंद लिफाफे में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उमरिया में उक्त दिनांक तक प्रस्तुत करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)

जिला न्यायालय उमरिया में अस्थायी रूप से एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क संचालन हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम ....

2. आधार कार्ड / पेनकार्ड / वोटर आई0डी0 अन्य शासकीय दस्तावेज की प्रति एवं नंबर

....

3. पिता / पति का नाम ....

4. पता एवं मो.नं. ....

....

....

5. सुरक्षा निधि की जानकारी एफ.डी.आर. नं. ....

बैंक का नाम ....

6. कियोस्क पंजीयन क्रमांक ....

(कियोस्क संचालन के लायसेंस एवं तीन वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

7. कियोस्क संचालन का वर्तमान पता ....

....

8. कियोस्क के वॉलेट से जुड़े बैंक संव्यवहार का खाता क्रमांक, नाम एवं जमा राशि

....

....

(कियोस्क संचालन के संबंध में बैंक से किये गये ऑनलाईन संव्यवहार की पिछले तीन वर्ष की छायाप्रति संलग्न है)

घोषणा–पत्र

मैं ....
यह घोषणा करता / करती हूं कि मैंने जिला न्यायालय उमरिया में अस्थायी रूप से एम. पी. ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन करने के संबंध में सभी शर्तों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लिया है तथा मेरे द्वारा उपरोक्त बिंदु क्रमांक 01 से 08 तक जो जानकारी भरकर तथा संलग्न कर प्रस्तुत की है वह पूर्ण रूप से सत्य व सही हैं।

उमरिया, दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम, पता व मो.नं. ....

....

....

<u>जिला न्यायालय उमरिया में अस्थायी रूप से एमपी0ऑनलाईन कियोस्क संचालन हेतु शर्तें</u> :–

(1) जिला न्यायालय परिसर उमरिया में एम.पी. ऑनलाईन अधिकृत कियोस्क/पोर्टल को संचालित करने हेतु आवेदन करते समय रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार) की जमा राशि/सुरक्षा निधि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया के नाम से एफ.डी.आर. के रूप में जमा करवानी होगी।

(2) सफल आवेदनकर्ता के अलावा शेष आवेदनकर्ताओं से प्राप्त हुई जमा राशि/सुरक्षा निधि कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित आवेदनकर्ताओं को वापस कर दी जावेगी।

(3) एम.पी. ऑनलाईन अधिकृत कियोस्क/पोर्टल का संचालित करने हेतु स्थान के रूप में एक कमरा विन्डो काउंटर सुविधा सहित उपलब्ध कराया जाएगा एवं विद्युत जिला न्यायालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

(4) सफल आवेदक को न्यायालय परिसर में एक वर्ष के लिए सेंटर के संचालन की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात् समयावधि बढ़ाए जाने का निर्णय समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा लिया जाएगा।

(5) आवेदक के पास कम से कम तीन वर्ष का कियोस्क संचालन का अनुभव होना आवश्यक है। आवेदन करते समय लाइसेंस एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(6) सफल आवेदनकर्ता को कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट सुविधा, बायोमैट्रिक डिवाइस, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी। इसके अतिरिक्त सफल आवेदनकर्ता को पी.ओ.एस. मशीन एवं क्यू.आर. कोड रखना अनिवार्य है। उक्त समस्त उपकरणों के रख–रखाव एवं सुरक्षा का दायित्व सफल आवेदनकर्ता का ही रहेगा।

(7) सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो राशि रूपये के माध्यम से जिला न्यायालय में स्थापित एम.पी. आनॅलाइन सेंटर में जमा हो रही है उसे किसी भी स्थिति में न्यायालय परिसर में नहीं रखा जाकर प्रतिदिन बैंक में जाकर जमा करवाना आवश्यक होगा।

(8) आवेदनकर्ताओं को एम.पी. आनॅलाईन के माध्यम से बैंक में किये गये लेनदेन का तीन साल का स्टेटमेंट एवं आवेदन दिनांक में वॉलेट में जमा राशि की जानकारी प्रदान करना होगा।

(9) सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सात दिवस के भीतर एम.पी. ऑनलाईन वॉलेट में कम से कम राशि 10,00,000/– (दस लाख रूपये) रखे होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

(10) सफल आवेदनकर्ता को जिला न्यायालय में स्थापित होने वाले एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क में कम से कम 02 कर्मचारियों की न्यायालयीन कार्य दिवस या जब प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा आदेशित किया जाये, की ड्यूटी आवश्यक रूप से लगानी होगी, जिनकी शैक्षणिक योग्यता पीजीडीसीए या उसके समकक्ष हो। किसी भी स्थिति में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कियोस्क बंद नहीं रखा जायेगा।

(11) सफल आवेदनकर्ता को तीन दिवस के अंदर कियोस्क का पता बदलवाकर जिला न्यायालय उमरिया का करवाना होगा। सफल आवेदनकर्ता को सात दिवस के

भीतर एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क जिला न्यायालय उमरिया में स्थापित कर प्रारंभ करना होगा।

(12) सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक को माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा तय की गई निर्धारित दर/पोर्टल फीस अनुसार सेवायें प्रदान करनी होगी। सफल आवेदनकर्ता को दरों की सूची एवं प्रदान की जाने वाली सेवायें बैनर/फ्लेक्स के माध्यम से निर्धारित कमरे के बाहर चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

(13) यह कि आवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 10:30 से सायं 06:00 बजे तक या प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्य दिवस पर कियोस्क सेंटर को खोलकर आम जनों को सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।

(14) आवेदक कियोस्क सेंटर में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

(15) प्राप्त आवेदन दिनांक 14.08.2024 को दोपहर 02:00 बजे प्रशासकीय समिति जिला न्यायालय उमरिया के समक्ष खोले जाएंगे। सफल आवेदनकर्ता का चयन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया द्वारा किया जाएगा तथा उनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

(16) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया को यह अधिकार होगा कि आनलाईन कियोस्क सेंटर हेतु दिए गए स्थान से संचालक को किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह के नोटिस पर कियोस्क सेंटर हटाने का आदेश दे सकते हैं।

(17) आवेदन के समय आवेदनकर्ताओं को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध या उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। सफल आवेदनकर्ता का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा।

(18) यदि सफल आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार की अनियमितता, तय दर से ज्यादा रूपये वसूलने, शासकीय संपत्ति का नुकसान करने, न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं अधिवक्तागण/पक्षकारगण से दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है या ऐसा अन्य कार्य कोई जिससे कि शासन के नियमों को उल्लंघन हो, तो कियोस्क संचालक की जमा राशि में रूपये 1000/– प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जावेगी। यदि 01 वर्ष में अगर 30 दिन पेनाल्टी लगती है तो आवेदनकर्ता का आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जावेगा एवं उसे 03 दिन में आनलाईन कियोस्क सेंटर को नियत स्थान से खाली करना होगा।

(19) यदि कियोस्क संचालन के कार्य में अनियमितता/लापरवाही पायी जाती है या उसके द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(20) सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक के विरूद्ध पेनाल्टी लगाने या शर्तों का उल्लंघन करने पर की जानी वाली कार्यवाही में अंतिम निर्णय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया का होगा।

The details of rates/portal fees is as given below:-

S. No.	Details	Proposed Portal Fee	Applicable Taxes	Total	Points as Per Letter
1	Enquiry of the case status	Free	Free	Free	Handing Enquiries about case status, next date of hearing and other details
2.1	Apply for certified copy	12.71	2.29	15.00	Facilitate Online Application for certified copies and other such filings
2.2	Print Out Charges				
a	Upto 5 pages	12.71	2.29	15.00	
b	Above 5 pages (per page cost to be charged)	1.69	0.31	2.00	
3.1	e-filling of petition with court fee upto Rs 1000	101.69	18.31	120.00	
a	Entry in Portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning Upto 35 pages	33.90	6.10	40.00	
c	Court Fee	33.90	6.10	40.00	
3.2	E-filling of petition with court fee Rs. 1001 to 5000	110.17	19.83	130.00	Facilitate e filing of Petition in the softwere
a	Entry in Portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning Upto 35 pages	33.90	6.10	40.00	
c	Court Fee	42.37	7.63	50.00	
3.3	e-filling of petition with court fee above Rs 5000	161.02	28.98	190.00	
a	Entry in Portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning Upto 35				
4	To assist in online purchase of e-stamp papers/ e-payments/ e-court fees	As per point no. 3.1 (c), 3.2 (c) and 3.3 (3)			For payment of online court fees
5	Publicize and assist in downloading the mobile app of e-Court for "android" and "ios" operating system	Free			
6	Facilitate in booking of e-Mulakat appointment for meeting relatives locked in Jail	Free, but for printing the per page cost to be given of Rs. 02			

7	Handing queries about location of the particular court, its cause-list and whether the case is taken up for hearing or not	Free
8	Guide people on how to avail free legal services from District Legal Service Authority, High Court Legal Service Committee and Supreme Court Legal Service Commitee	Free
9	Explain method of arranging and holding a video conference court hearing	Free
10	Provide softcopy of judicial orders/judments via email. whatsapp or any other available mode	Soft copy free, but for printing the pages the charge of Rs. 2 per page to be given
11	Other queries and assistance in respect of facillities which are digitally which are digitally available under e-court project	Free
12	Fines/deposits	Rs. 10 (portal charges) per transaction/deposit of fine

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT - JABALPUR

No. Reg(IT)(SA)/2022/ Jabalpur, Dated:-...........

:: MEMO::

To,

The Principal District and Sessions Judge,
All the District and Sessions Courts in the State of M.P.
District - __________

Sub: Regarding guidelines for service charges of various e-services at MP Online service centers and Lok sewa Kendra in the State of Madhya Pradesh

Ref: Minutes of meeting dated: 22.12.2020 and Letter of Shri Narendra Sharma, Advocate received on 28.01.2022 by the High Court.

As directed, under the subject cited and with reference to above, it is to inform that Hon'ble the Chief Justice vide order dated 06.03.2022 has been pleased to direct you to take necessary action regarding various rates fixed for availing various e-services through MP Online kiosk center and e-lok sewa Kendra and to communicate all respective stake holders accordingly.

The details of rates / portal fees is as given below:-

S.No	Details	Proposed Portal Fee	Applicable Taxes	Total	Points as Per Letter
1	Enquiry of the case status	Free	Free	Free	Handling Enquiries about case status, next date of hearing and other details
2.1	Apply for certified copy	12.71	2.29	15.00	
2.2	Print Out Charges				
a	Upto 5 pages	12.71	2.29	15.00	Facilitate Online Application for certified

e-mail:-regithcjbp@mp.gov.in Ph:-0761-2623358

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT - JABALPUR

No. Reg(IT)(SA)/2022/ Jabalpur, Dated:-...........

b	Above 5 pages (per page cost to be charged)	1.69	0.31	2.00	copies and other such filings
3.1	e-filling of petition with court fee upto Rs 1000	101.69	18.31	120.00	
a	Entry in Portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning Upto 35 pages	33.90	6.10	40.00	
c	Court Fee	33.90	6.10	40.00	
3.2	E-filling of petition with court fee Rs 1001 to 5000	110.17	19.83	130.00	Facilitate e-filing of Petition in the software
a	Entry in Portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning Upto 35 pages	33.90	6.10	40.00	
c	Court Fee	42.37	7.63	50.00	
3.3	e-filling of petition with court fee Above Rs 5000	161.02	28.98	190.00	
a	Entry in Portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning Upto 35				
4	To assist in online purchase of e-stamp papers / e-payments/ e-Court fees	As per point no. 3.1 (c), 3.2(c) and 3.3 (3)			For payment of online court fees
5	Publicize and assist in downloading the mobile app of e-Court for "android" and	Free			

e-mail:-regithcjbp@mp.gov.in Ph:-0761-2623358

	"iOS" operating system	
6	Facilitate in booking of e-Mulakat appointment for meeting relatives locked in Jail	Free , but for printing the per page cost to be given of Rs.02
7	Handling queries about location of the particular court, its cause-list and whether the case is taken up for hearing or not	Free
8	Guide people on how to avail free legal services from District Legal Service Authority, High Court Legal Service Committee and Supreme Court Legal Service Committee	Free
9	Explain method of arranging and holding a video conference court hearing	Free
10	Provide softcopy of judicial orders / judgments via email, whatsapp or any other available mode	Soft copy free, but for printing the pages the charge of Rs. 2 per page to be given
11	other queries and assistance in respect of facilities which are digitally available under e-Court	Free

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT – JABALPUR

No. Reg(IT)(SA)/2022/ Jabalpur, Dated:-...........

	project		
12	*Fines / deposits*	*Rs. 10 (portal charges) per transaction / deposit of fine*	

Therefore, please process the matter accordingly for various e-services.

(F.H. QAZI)
SPSA(SA)

Encl: As Above